<u>न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नियमित फौजदारी प्रकरण सं. - 42/2026

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

हंसराज पुत्र लालजी, निवासी-नारायणपुरा, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला-झालावाड़(राज.)

अभियुक्त....

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम</u>

<u>उपस्थितिः-</u>

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री भूरालाल मीना, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः-07-03-2026

01-. कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए न्यायालय हाजा में दिनांक 20-01-2026 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 14-07-2025 को मौजा वनखण्ड कोटड़ादयाल-A में देवनारायण की बरड़ी में मंदिर के पीछे गश्त के दौरान दो जेसीबी व एक डम्पर जिसके रजिस्ट्रेशन नं. आर.जे 17 जी.बी 4434 अवैध खनन करते हुए दिखाए दिए, जिसे रूकवाया व डम्पर के चालक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हंसराज पुत्र लालजी, निवासी-नारायणपुरा, पुलिस थाना झालरापाटन जिला-झालावाड़ होना बताया। जे.सी.बी. से खनन की हुई मुर्रम मिट्टी के संबंध में पूछा तो मुर्रम मिट्टी परिवहन खनन संबंधित उसके पास कोई रवन्ना (टीपी) नहीं पाया गया, जो कि वन अपराध की श्रेणी में आता है। मौके पर उक्त जे.सी.बी. को जप्तराज कर राजस्थान वन अधिनियम 32, 33, 41, 42 के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर रेंज परिसर अकलेरा में खडा किया।, इत्यादि।

03- वापसी पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 62/43 दिनांक 15-07-2025 अन्तर्गत धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- बहस चार्ज सुनी गई तथा अभियुक्त को धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 रामबिलास, पी.डब्ल्यू. 02 राजेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 03 कैलाशचंद, पी.डब्ल्यू. 04 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू. 05 बलराम को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 10 तक के दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- अभियोजन साक्ष्य बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया है, समस्त साक्षीगण एक ही विभाग के हैं। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त किसी भी प्रकार से घटना में लिप्त नहीं है और न ही उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य है। उसे मिथ्या संलिप्त किया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

> 1- क्या दिनांक 14-07-2025 को समय 2.40 ए.एम. के लगभग बमुकाम वनखण्ड कोटड़ादयाल-A में देवनारायण की बरड़ी में मंदिर के पीछे अभियुक्त हंसराज द्वारा डम्पर रजिस्ट्रेशन नं. आर.जे 17 जी.ए 4434 से मुर्रम मिट्टी का अवैध खनन बिना अनुज्ञापत्र, रवन्ना (टीपी) के किया जा रहा था। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया ?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाहान परीक्षित करवाये गये हैं, जिनमें से सर्वप्रथम गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रामविलास है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 01 की ताईद की है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 06 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि उन्हें मुर्रम ट्रक में दूर से नजर नहीं आ रही थी। मौके पर ट्रक को कौन चलाकर लाया, उसे याद नहीं है। सभी फर्दात रेंज में ही बनाई थी। उसने वन भूमि पर जाकर खनन स्थल नहीं देखा था। उन्होंने पटवारी कानूनगो से वनभूमि के वनखण्ड

जमाबंदी प्राप्त नहीं की। उन्होंने किसी को स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया। उनके सामने खनन नहीं हुआ था। उनके विभाग की गाड़ी कौन चलाकर लेकर गया था व कौन उनके साथ गए थे, उसे याद नहीं है। जेसीबी के भरे हुए की कोई फोटोग्राफी व विडियोग्राफी नहीं कराई थी।

12- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 राजेन्द्र कुमार है जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है जो कि वक्त घटना क्षेत्रीय वन अधिकारी अकलेरा के पद पर कार्यरत था जिसके द्वारा आरोपी हंसराज का उक्त कृत्य धारा 32, 33, 41, 42 का उक्त कृत्य का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि जप्ती की कार्यवाही उसके सामने नहीं हुई थी। ट्रक की फोटोग्राफी उसने नहीं कराई थी। उसने घटनास्थल के आसपास के लोगों से इस केस के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। जिस जगह खनन किया गया वहां का मौका मुआयना उसने नहीं किया। सभी गवाहान विभाग के कर्मचारी ही थे। कोटड़ादयाल की वनखण्ड की जमाबंदी पत्रावली में पेश नहीं की गई।

13- गवाहान पी.डब्ल्यू. 03 कैलाशचंद, पी.डब्ल्यू. 04 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू. 05 बलराम हैं। उक्त सभी गवाहान फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 01 के गवाह हैं। जिरह में उक्त गवाहान ने अभिकथित किया है कि रेंज से कितने बजे रवाना हुए थे उन्हें पता नहीं है। ट्रक मुर्रम में दूर से नजर नहीं आ रही था। मौके पर ट्रक को कौन चलाकर लाया उन्हें याद नहीं है। वनभूमि पर जाकर खनन स्थल नहीं देखा था। उक्त गवाहान ने यह भी स्वीकार किया है कि वनभूमि के वनखण्ड की जमाबंदी प्राप्त नहीं की थी। उनके द्वारा किसी को भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। सभी गवाह उनके विभाग के ही हैं। उक्त गवाहान ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके सामने खनन नहीं हुआ। ट्रक की खनन करते हुए कोई फोटोग्राफी नहीं कराई गई। वक्त घटना घटनास्थल पर जेसीबी मौजूद नहीं थी।

14- इस प्रकार सभी गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि किसी भी गवाहान ने घटनास्थल पर ट्रक को खनन करते हुए नहीं देखा। सभी गवाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए गए। ट्रक की खनन करते हुए कोई फोटोग्राफी नहीं करवाई गई। उनके द्वारा खनन स्थल की जमाबंदी प्राप्त नहीं की गई। किसी भी गवाहान ने खनन स्थल को नहीं देखा। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं होता है।

15- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने से अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

16- अतः अभियुक्त हंसराज पुत्र लालजी, निवासी-नारायणपुरा, पुलिस थाना झालरापाटन, जिला-झालावाड़(राज.) को धारा 32, 33, 41, 42 राजस्थान वन अधिनियम के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

17- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं0प्र0सं0 के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

18- निर्णय आज दिनांक 07-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

RAJARAM MEENA

Steno Gr. III
"Authenticate Document"
Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.07 04:37:11 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।